संतकबीरनगर पुलिस

जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 10-11-2022**

आज दिनांक 10.11.2022 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर **श्री अखिल कुमार** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती **श्री आर0के0 भारद्वाज** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री सोनम कमार** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा जानमाल की धमकी के मामले मे वाँछित बाल अपचारी गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी मेहदावल **श्री राजीव कुमार यादव** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 234 / 2022 धारा 363 / 366 / 504 / 506 भादवि के मामले मे वांछित बाल अपचारी नाम पता बब्लू पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी कुसहरा निषाद टोला थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया था उलहना देने पर वादिनी को जानमाल की धमकी दी गयी थी जिसके संबंध मे वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए आज दिनांक 10.11.2022 को उक्त आरोपी बाल अपचारी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 पवन कुमार शुक्ला, का0 विकास साहनी।

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 05-05 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त नाम पता 1 – राम प्रसाद पुत्र सुरेन्द्र 2 – अमरनाथ पुत्र दीना निवासीगण गगनईबाबू थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना मेहदावल पर क्रमशः मु0अ0सं0 420 / 2022 व 421 / 2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री ओम प्रकाश यादव, हे0का0 अमित सिंह, का0 अनूप कुमार।

संतकबीरनगर पुलिस

अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत बखिरा 450 ग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सोनम कुमार** द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत अवैध मादक पदार्थों की बिक्री व परिवहन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षो को दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में **थाना बखिरा** पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण / चेकिंग के दौरान अभियुक्त जनार्दन पुत्र महावीर निवासी ककरहिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को बरईपार पुलिया के पास से गिरफ्तार कर कब्जे से 450 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना बखिरा पर एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

जनार्दन पुत्र महावीर निवासी ककरहिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी-

450 ग्राम अवैध गांजा।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 357 / 2022 धारा 8 / 20 एनडीपीएस एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल –

प्रभारी चौकी बखिरा उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह,का0 मुकेश वर्मा, का0 मनीष खरवार।

@santkabirnagpol Pro Cell Santkabirnagar spsantkabirnagar

संतकबीरनगर पुलिस

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 11 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1483 द्वारा मारपीट / विवाद मारपीट में घायल व्यक्तियों को पहुंचाया गया अस्पताल -

पीआरवी 1483 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत अम्बेडकर पार्क चौराहा से इवेन्ट संख्या 06055 से मार्ग दुर्घटना में 01 व्यक्ति (नाम पता बब्लू मिश्रा पुत्र सर्वजीत मिश्रा निवासी पड़रिया संतकबीरनगर) के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया गया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर समय पर पहुंचकर मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस 108 से जिला चिकित्सालय भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों द्वारा सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्तियो को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहनी की गयी।

पीआरवी स्टाफ – आरक्षी सौरभ सिंह, आरक्षी धर्मेन्द्र कुमार, हो0चा0 पवन पाण्डेय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 117 वाहनो से 1,20,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 10.11.2022 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनिय म के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 117 वाहनों से 1,20,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।